



Government of India
Ministry of Corporate Affairs
DIN Cell

A-14, PDIL Bhawan, Sector-1, Noida-201301

Reference No: 2855759/C35523042

Date of Approval: 5/12/2014

To,

MR. JIBAN GUPTA S/O SATYA NARAYAN GUPTA
MANDARABATI PURBA, SAHEBGANJ-2, BHATAR
BURDWAN- 713127 WB INDIA

Sub: - ALLOTMENT OF DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER (DIN) TO MR. JIBAN GUPTA S/O SATYA NARAYAN GUPTA, DATE OF BIRTH: 26-03-1983.

Dear Sir/Madam,

Kindly refer to your application for allotment of a Director Identification Number. It is to inform that your application has been approved and **DIN 07036924** is allotted. Please mention your DIN at the appropriate place while filing forms and applications with ROC or to any other authority under the Ministry of Corporate Affairs.

You may also kindly note that as per Section 156 of the Companies Act 2013, in case you are an existing director, you are required to intimate your DIN to the company or companies in which you are a director within one month of receipt of this letter.

It may be noted that section 155 of the Act prohibits any individual who has already been allotted a DIN from applying, obtaining or processing another DIN. Penal action against the applicant and professional certifying the DIN application in case of false information/ certification as per provisions of section 448 and 449 of the Act will be taken in addition to action for professional misconduct and revocation of DIN, allotted on false information.

Yours faithfully

(Ms. Sheela Pothula)

Joint Director
Authorized Officer, DIN Processing Cell
Ministry of Corporate Affairs

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
डीआईएन प्रकोष्ठ

ए-14, पीडीआईएल भवन, सेक्टर-1, नोएडा-201301

संदर्भ संख्या: 2855759/C35523042

अनुमोदन की तारीख: 5/12/2014

सेवा में,

MR. JIBAN GUPTA S/O SATYA NARAYAN GUPTA
MANDARABATI PURBA, SAHEBGANJ-2, BHATAR
BURDWAN-713127 WB INDIA

विषय: निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आवंटन MR. JIBAN GUPTA S/O SATYA NARAYAN GUPTA जन्म तिथि: 26-03-1983

महोदय/महोदया,

कृपया निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेतु अपने आवेदन का संदर्भ लें। सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन को अनुमोदित कर दिया गया है और **डिन 07036924** आवंटित किया गया है। कृपया कंपनी रजिस्ट्रार अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप और आवेदन दायर करते समय उपयुक्त स्थान पर अपने डिन का उल्लेख करें।

कृपया यह भी नोट करें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 156 के अनुसार, यदि आप वर्तमान में निदेशक हैं तो आपके लिए इस पत्र की प्राप्ति के एक महीने के भीतर उस कंपनी या उन कंपनियों को जिसमें या जिनमें आप निदेशक हैं, अपनी डिन की सूचना देना अपेक्षित है।

यह नोट किया जाए कि अधिनियम की धारा 155 के तहत किसी व्यक्ति जिसे एक डिन आवंटित किया जा चुका है, के लिए एक और डिन हेतु आवेदन करने, प्राप्त करने या करवाई करने का निषेध है। गलत सूचना/प्रमाणन के मामले में डिन आवेदन करने वाले तथा उसे प्रमाणित करने वाले व्यावसायिक के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार के लिए कार्रवाई और गलत सूचना के आधार पर आवंटित डिन को रद्द करने की कार्रवाई के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 448 और 449 के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(सुश्री शीला पोथुला)

संयुक्त निदेशक
प्राधिकृत अधिकारी, डिन प्रक्रिया प्रकोष्ठ
कारपोरेट कार्य मंत्रालय